A Reference to the Case-Laws on this issue of uncalled for litigations by employers and its consequence on relief granted

[1980 Vol. II L.L.J. page 124 S.C.]

"——— We cannot sympathize with a party who gambles in litigation to put off the evil day and when that day arrives prays to be saved from his own gamble. ——The logistics of litigation for indigent workmen is a burden the management tried to use by a covert blackmail through the judicial process. Misplaced sympathy is a mirage justice ———."

(1994 (68) FLR 389 (M.P.) D.B.)

M.P.S.R.T.C. Vs. Industrial Tribunal

"———The law is now well settled that when the order of dismissal from service of an employees is set aside as illegal, the employee is normally entitled for reinstatement with full back wages and it is for the employer to plead circumstances which would disentitle the employee to the benefit of full back wages. The employer can certainly show that the employee was gainfully employed during the period of enquiry and therefore, he is not entitled for back wages or can bring other factors before the Court which would disentitle the employee from getting back wages. Here in this case nothing has been brought about by the petitioner Corporation to take a different view of the matter, disentitling, the respondent No. 3 from his legal right of having back wages as a normal rule. The burden was clearly on the employer to bring about the factors.

4. In the absence of any material on record which may persuade this Court in taking a different view of the matter of disentitling respondent No. 3 from back wages on his reinstatement, no order can be passed refusing back wages to the respondent No.3———."

(1993 Vol. II L.L.J. page 1238 M.P., D.B.)

State of M.P. Vs. Barilal @ Munna Badai And Another

"——12. Besides the law which is clear, on facts, we find that the workman has led evidence in respect of his non-employment and for that there was no cross-examination nor any evidence was led in rebuttal. The parties were alive of the question in issue. Hence, merely non-framing of an issue would not entitle the petitioner/employer to invoke the jurisdiction of this Court for the first time, when no grievance was raised before the Labour Court, and the parties who were alive of the question, led evidence, as it is settled that when parties were conscious of issue, absence of pleading or non-framing of an issue will not be a ground for setting aside the judgment or an award, unless it is shown that prejudice has resulted. Even if it is assumed that onus was on the workman, which is not the correct position of law, the onus lost its importance, as the evidence was led by the workman.———."

"——26. Now, in the instant case before us, the employer did not specifically deny the employee's averments in the pleading that he had lied in getting any employment. Besides, the employee's testimony on the aforementioned point was not only subjected to any cross-examination but also the employer had adduced no evidence despite the grant of adjournments on November 13, 1986, January 15, 1987, March 1987, July 7, 1987, August 11, 1987, October 1987 and January 12, 1988. On April 11, 1988 the employer had no evidence. In these circumstances the Labour Court heard arguments on the merits of the case. Thus the employer had no evidence for rebutting the employee's evidence. Thus, it is not the fact-pattern the case that there is no evidence in support the employee's claim for backwages. This fact pattern is fully distinguishable from the fact-pattern in the precedent case, *Madhya Pradesh Electricity Board* case (supra), i.e., fact-pattern stated at Para 36 and as posted in the first three lines Para 38 (supra). Hence, the *ratio decidendi* in that case, as extracted in the last sentence at Para. 36 (vide supra), is not applicable to the instant case and, is, therefore, clearly distinguishable.

1978 II LLJ8 474,

Hindustan Tin Works VS Its Employees

"———Full back wages would be the normal rule and the party objecting to it must establish circumstances necessitating departure..... the discretion must be exercised in a judicial and judicious manner. ——to be done according to the rules of reason and justice, according to law and not humour. ———Speaking realistically, where termination of service is questioned as invalid or illegal and the workman has to go through the grant of litigation, his capacity to sustain himself throughout the protracted litigation is itself such an awesome factor that he may not survive to see the day when relief is granted. ———(when denied of) the back wages which would he due to him, the work man would be subjected to a sort of penalty for no fault of his and it is wholly undeserved. ——Any other view would be premium on the unwarranted litigative activity of the employer———".

Industrial Court, D.B. Order Dated 31.05.1995

:: आदेश ::

(आदेश आज दिनांक 31.05.1995 को पारित किया गया)

यह आदेश संदर्भ प्रकरण क्रमांक 1/एम.पी.आय.आर./93 से 15/एम.पी.आय.आर./93 में द्वितीय पक्ष द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों के संदर्भ में दिया जा रहा है.

1. उप सचिव, श्रम विभाग, म.प्र. शासन ने, यह संतोष होने पर कि उपरोक्त प्रकरणों के प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गये हैं और उनका समाधान, पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त, अन्य कोई मार्ग नहीं है, धारा 51 म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27/1960), जिसे आगे अधिनियम कहा गया, के अंतर्गत, (रेफरेंस प्रकरण क्रमांक 1/93 से 15/93) संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद पंच निर्णयार्थ औद्योगिक न्यायालय- म.प्र. रायपुर खंडपीठ को संदर्भित किये हैं.

2. इन सभी संदर्भों में विवाद विषय लगभग समान है, जो नीचे दिये जा रहे हैं.

   (1) क्या वेतन एवं भत्तों के पुनरीक्षण का औचित्य है? यदि हां तो वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की क्या योजना होना चाहिये एवं इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये?

   (2) क्या प्रतिवर्ष 15 दिन का आकस्मिक अवकाश, 10 दिन का त्यौहारी अवकाश तथा 30 दिन का चिकित्सा अवकाश दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये?

   (3) क्या संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित एम्पलाईज का सेवा पृथकीकरण वैद्य एवं उचित है? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये?

3. इन सभी प्रकरणों में द्वितीय पक्ष नियोजक की ओर से निम्नलिखित प्रारंभिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं:-

(1) राज्य शासन के द्वारा बिना अधिकारिता के यह संदर्भ प्रस्तुत किये गये हैं, अतः वे चलने योग्य नहीं है.

   (क) धारा 51 (2) अधिनियम में यह प्रावधान है कि संराधन अधिकारी के द्वारा धारा 43 (2) अधिनियम के अंतर्गत भेजा गया और 43 (3) अधिनियम के अंतर्गत मुख्य संराधन अधिकारी के द्वारा राज्य शासन को अग्रेषित प्रतिवेदन, संदर्भ में प्रवेश करने के पूर्व, श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायालय अथवा बोर्ड को, जैसी भी स्थिति हो, उपलब्ध कराया जायेगा. लेकिन राज्य शासन ने उक्त प्रतिवेदन, संदर्भ के साथ नहीं भेजा.

   (ख) प्रथम पक्ष श्रमिक संघ ने कभी भी द्वितीय पक्ष नियोजक के समक्ष संदर्भित मामलों के संबंध में विवाद प्रस्तुत नहीं किया और न ही धारा 31 अधिनियम के अंतर्गत परिवर्तन का सूचना पत्र, प्रपत्र "जे" में भेजा. प्रथम पक्ष ने धारा 39 अधिनियम के अंतर्गत प्रारुप 'क' में अपने मामले का विवरण नहीं भेजा. इस प्रकार इन आज्ञात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया.

   (ग) चूंकि उक्त विवाद संराधन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये गये और संराधन अधिकारी के द्वारा धारा 39(2) अधिनियम के अंगर्तत कोई प्रतिवेदन मुख्य संराधन अधिकारी को नहीं भेजा गया, इसलिये यह संदर्भ चलने योग्य नहीं है, वे अधिकारिता विहीन हैं.

   (घ) संदर्भ किया जाने हेतु धारा 43(6) तथा धारा 46(2) अधिनियम के आज्ञात्मक प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकारों की सहमति प्राप्त नहीं की गई.

   (ड) संदर्भ के साथ संलग्न सूची में कर्मचारियों की निलंबन तिथि दी गई है और यह संदर्भ, निलंबन के संबंध में नहीं किया गया, इसलिये यह संदर्भ अवैध होकर चलने योग्य नहीं है.

   (च) धारा 62 अधिनियम में कर्मचारी की सेवा समाप्ति से संबंधित विवाद श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु सेवा समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की समयावधि प्रावधानित है. संदर्भित विवाद धारा 62 (1) (ए) अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के काफी समय पश्चात भेजे गये हैं. इन विवादों के अवधि बाह्य हो जाने के कारण द्वितीय पक्ष को धारा 62(1) अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त हो गया था, वह अधिकार संदर्भ के द्वारा छीना नहीं जा सकता है.

   (छ) जो विवाद पंच निर्णयार्थ संदर्भित किये गये हैं, वे विवाद इस प्रकार के नहीं है कि उनका निराकरण अन्य मार्ग से नहीं हो सकता है. ये विवाद धारा 31 (3) एवं 61 अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं.

   (ज) कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, स्थाई एवं अर्ध स्थाई चरित्र के कर्मचारियों की संख्या कम करना है, जिसका उल्लेख अनुसूची-1 में क्रमांक-1 पर है. अतः इस संबंध में धारा 51 के परन्तुक 2 के अंतर्गत संदर्भ नहीं किया जा सकता है.

   (झ) इन संदर्भों में वाद कारणों का कु-संयोजन है.

4. द्वितीय पक्ष ने निवेदन किया कि उक्त प्रारंभिक आपत्तियों पर बिना साक्ष के आपत्ति दी जा सकती है और उनके आधार पर संपूर्ण प्रकरण का निराकरण हो सकता है, अतः सर्वप्रथम इन आपत्तियों का निराकरण किया जाये.

5. प्रथम पक्ष श्रमिक संघ ने द्वितीय पक्ष के आवेदन का विरोध किया, उनका प्रकरण यह है कि उक्त प्रारंभिक आपत्तियों का निराकरण बिना साक्ष्य लिये नहीं किया जा सकता है. अतः उनका निराकरण प्रकरण के शेष विवादों के साथ, साक्ष्य लेकर किया जाना चाहिये. यह प्रारंभिक आपत्तियां, प्रकरण को लंबान में डालने की दुर्भावना से की गई है. द्वितीय पक्ष ने हजारों श्रमिकों को सेवा से पृथक कर दिया. राज्य शासन को धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक विवादों को संदर्भित करने के लिये असीमित अधिकार प्राप्त है. धारा 51 अधिनियम का यह उपवाक्य "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, ('Notwithstanding anything contained in this Act)" धारा 51 को इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के नियंत्रण से मुक्त करता है. प्रथम पक्ष ने दिनांक 13.11.90 को द्वितीय पक्ष के प्रबंधन की मांग सूचना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने लेने से इंकार किया था, फलतः उसने सहायक श्रमायुक्त को अपनी मांगे प्रस्तुत की थी. संराधन अधिकारी ने 21.11.91, 23.11.91, 2.12.91, 24.12.91, 4.6.92, 5.6.92 आदि दिनांकों पर अभय पक्षों की बैठकें, संराधन कार्यवाही हेतु आयोजित की थी, लेकिन द्वितीय पक्ष के आचरण के कारण वे असफल रहीं. राज्य शासन की धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत संदर्भ किये जाने हेतु प्रदत्त अधिकार, धारा 43 अथवा 31 अधिनियम से नियंत्रित नहीं होती है. प्रथम पक्ष ने समयावधि के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का विवाद संराधन अधिकारी (सहायक श्रमायुक्त) रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था. संराधन कार्यवाही में द्वितीय पक्ष ने भाग लिया था, इसलिये धारा 62(1)(ए) अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष को अवधि बाह्यता के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये और वैसे भी औद्योगिक न्यायालय को विलंब क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है. संदर्भित औद्योगिक विवाद, पिछले 3 वर्षों से चले आ रहे हैं. द्वितीय पक्ष उनके निराकरण में रुचि

नहीं रखता था, इसलिये संराधन कार्यवाही हेतु की गई बैठकें विफल रहीं. अतः प्रारंभिक आपत्तियां निरस्त की जायें.

6. इस न्यायालय की खंडपीठ रायपुर के विद्वान सदस्य न्यायाधीश महोदय ने द्वितीय पक्ष नियोजक के द्वारा सभी प्रकरणों में प्रस्तुत की गई प्रारंभिक आपत्तियां, एक ही प्रकार की होने से, उभय पक्ष के तर्क श्रवण कर, उनके संबंध में एक सामान्य आदेश दिनांक 20.10.94 को पारित किया. विद्वान सदस्य महोदय ने यह मत दिया कि द्वितीय पक्ष के द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियां, पूर्णतः वैधानिक स्वरुप की होकर अत्यधिक महत्व की है. अतः इन प्रारंभिक आपत्तियों का निराकरण सर्वप्रथम किया जाना चाहिये. इन संदर्भों में धारा 51(2) अधिनियम का पालन किया जाना, प्रथम दृष्टि में प्रकट नहीं होता है. विद्वान सदस्य न्यायाधीश महोदय ने यह मत दिया कि द्वितीय पक्ष नियोजक द्वारा उठाई गई, संदर्भ की पोषनीयता से संबंधित आपत्तियों का निराकरण, दुरुह प्रतीत होता है, अतः यह उचित है कि इन प्रारंभिक आपत्तियों का निराकरण, 2 या अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा किया जाये. फलतः विद्वान सदस्य न्यायाधीश महोदय ने उक्त सभी प्रकरण "औद्योगिक न्यायालय की पीठ गठन नियम 1964" की क्लॉज 7(1) के अंतर्गत अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय को, इस अनुशंसा के साथ प्रेषित किया कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का निराकरण दो या 2 से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा किया जायें.

7. सदस्य न्यायाधीश महोदय के उक्त आदेश के प्रकाश में दो सदस्यों की इस पीठ का गठन किया गया और ये प्रकरण द्वितीय पक्ष की प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई हेतु लिये गये. यह सच है कि समयावधि का प्रश्न, विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है. जो प्रश्न, विधि एवं तथ्यों के मिश्रित प्रश्न होते हैं, उनका निराकरण बिना साक्ष्य के होना संभव नहीं होता. लेकिन इस प्रकरण में यह उचित नहीं दिखाई देता है कि यह संदर्भ विद्वान सदस्य न्यायाधीश महोदय की साक्ष अंकित करने हेतु भेजे जायें, इस प्रक्रिया में अनावश्यक रुप से समय व्यतीत होगा. हमारे मत में द्वितीय पक्ष ने जो प्रारंभिक आपत्तियां उठाई है, उनका निराकरण इस प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों एवं तथ्यों के प्रकाश में एवं तर्क के समय द्वितीय पक्ष द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों के आधार पर किया जा सकता है.

8. अतः प्रारंभिक आपत्तियों पर उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये.

9. समयावधि के संबंध में द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण श्री व्यास एवं श्री खनूजा ने निवेदन किया कि धारा 62(1)(ए) अधिनियम में कर्मचारी की सेवा समाप्ति के विरुद्ध धारा 61 अधिनियम में दावा प्रस्तुत करने के लिये एक वर्ष की अवधि निर्धारित है. हस्तगत संदर्भ, तथाकथित सेवा समाप्ति के एक वर्ष से अधिक अरसा गुजर जाने के बाद किये गये, तथा इन संदर्भों के विवाद अवधि बाह्य हो गये हैं. अतः यह संदर्भ चलने योग्य नहीं है. जो अधिकार धारा 62(1)(ए) अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष को प्राप्त हुआ है, उस अधिकार को राज्य शासन इन संदर्भों के द्वारा समाप्त कर रहा है. यदि धारा 31 (3) अधिनियम के अंतर्गत, श्रम न्यायालय में मामले प्रस्तुत किये जाते तो उनको औद्योगिक न्यायालय में अपील करने का अधिकारी प्राप्त होता, इन संदर्भों के कारण पक्षकार अपील के अधिकार से वंचित हो रहे हैं, अतः यह संदर्भ अवैध होकर चलने योग्य नहीं है. उक्त तर्क के खंडन में प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री थामस ने निवेदन किया कि यह संदर्भ धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत किये गये हैं. धारा 51, धारा 62या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान से नियंत्रित नहीं है. राज्य शासन द्वारा संदर्भ किया जाने के लिये कोई समयावधि निश्चित नहीं है.

10. स्वीकृत रुप से धारा 62(1)(ए) अधिनियम में, कर्मचारी की सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध, धारा 61 अधिनियम के अंतर्गत, श्रम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये, एक वर्ष की अवधि निर्धारित है. स्वीकृत रुप से यह संदर्भ, सेवा समाप्ति के आदेश के पश्चात, एक वर्ष की अवधि गुजर जाने के उपरांत पंच निर्णय हेतु धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत किये गये हैं. इस विवाद के निराकरण हेतु दारा 51 अधिनियम का अवलोकन करना होगा, जो निम्नानुसार है :-

51. Reference of disputes to Labour Court, Industrial Court or Board. - (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, if on a report made by the Labour-Officer or otherwise it is satisfied that an industrial dispute exists, and-

(a) It is not likely to be settled by other means; or

(b) by reason of the continuance of the dispute-

(i) a serious outbreak of disorder or breach of the public peace is likely to occur; or

(ii) serious or prologed hardship to a large section of the community is likely to be caused; or

(iii) the industry concerned is likely to be seriously affected or the prospects and scope of employment therein curtailed; or

(c) It is necessary in the public interest to do so; refer the dispute or any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute for arbitration to a Labour Court or the Industrial Court or a Board:

Provided that-

(i) no reference under this section shall be made to a Board without referring the matter to the parties and obtaining consent in writing of one of the parties to the dispute; and

(ii) no reference shall be made to a Labour Court under this section if the matter in dispute is included in Schedule I or if the dispute is between employees and employers.

(2) A copy of the report sent by Conciliator under sub- section (2) of section 43 and forwarded by the Chief conciliator to the State government under sub-section (3) of the said section- shall also be made available to the Labour Court, or the Industrial Court of the Board, as the case may be, before it proceeds to deal with the reference under sub section (1).

धारा 51 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विधायिका ने राज्य शासन को धारा 51 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों को संदर्भित करने के लिये व्यापक एवं अनियंत्रित अधिकार दिये हैं. धारा 51 का सर्वोपरि उपवाक्य (on-obstante clause) धारा 51 को, इस अधिनियम (म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम) के अन्य प्रावधानों से मुक्त रखता है, अर्थात अधिनियम के अन्य प्रावधान धारा 51 को लागू नहीं होते हैं. (अवलोकनीय ए.आई.आर. 1969 एम.पी.248 कर्मचारी एसवेसटोज सीमेंट लिमि. विरुद्ध औद्योगिक न्यायालय एवं अन्य) अतः धारा 62 अधिनियम में सेवा समाप्ति के आदेश के विरुद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु जो एक वर्ष की कालावधि निर्धारित की गई है, वह कालावधि धारा 51 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले संदर्भों को लागू नहीं होती है. राज्य शासन के लिये किसी औद्योगिक विवाद को संदर्भित करने के लिये धारा 51 अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है. यह सच है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा समाप्ति के संबंध में धारा 31(3) अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसको धारा 62 अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के अंदर दावा प्रस्तुत करना होगा. एक वर्ष के बाद प्रस्तुत किया गया दावा, अवधि बाधित होगा. लेकिन राज्य शासन पर धारा 51 के अंतर्गत समयावधि का बंधन नहीं है. वह एक वर्ष पश्चात भी संदर्भ कर सकता है. प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री थामस का कहना है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अवैध रुप से 3-4 हजार कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया, इसी कारण से राज्य शासन ने सामूहिक हित के आधार पर यह संदर्भ किये हैं. हम

विद्वान अधिवक्तागण श्री व्यास एवं श्री खनूजा के इस तर्क से सहमत नहीं है कि धारा 31(3) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले मामले, धारा 6 2 अधिनियम के अंतर्गत अवधि बाह्य हो गये, इस कारण राज्य शासन यह संदर्भ करने के लिये सक्षम नहीं है. राज्य शासन के धारा 51 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को उक्त आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है. द्वितीय पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है कि राज्य शासन ने यह संदर्भ दुर्भावना से किये हैं और ऐसा ठीक ही किया गया. अतः धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन की सेवा समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात भी सेवा समाप्ति के औद्योगिक विवाद को पंच निर्णय हेतु संदर्भित करने का अधिकार प्राप्त है. यह सच है कि यदि इन विवादों के संबंध में धारा 31(3) अधिनियम के दावे प्रस्तुत किये जाते तो पक्षकारों को धारा 65 अधिनियम में औद्योगिक न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होता, लेकिन इस आधार पर राज्य शासन के धारा 51 में प्रदत्त अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं. अतः समयावधि के संबंध में की गई उक्त आपत्ति सारहीन है.

11. द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई यह आपत्ति कि धारा 51(2) अधिनियम में यह आज्ञात्मक प्रावधान है कि संदर्भ के साथ संराधन अधिकारी (conciliator) का प्रतिवेदन भेजा जायें, इन संदर्भों के साथ प्रतिवेदन नहीं भेजे गये हैं, अतः ये संदर्भ चलने योग्य नहीं हैं, स्वीकार की जाने योग्य नहीं है. धारा 51(2) अधिनियम में यह प्रावधान है कि संराधन अधिकारी के द्वारा धारा 43(2) अधिनियम के अंतर्गत भेजा गया और प्रमुख संराधन अधिकारी के द्वारा राज्य शासन की उपधारा 3 के अंतर्गत अग्रेषित किया गया प्रतिवेदन श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायालय द्वारा बोर्ड को, जैसी भी स्थिति हो, संदर्भ में प्रवृष्ट होने के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा. धारा 51(2) के पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है संदर्भ के साथ, संराधन अधिकारी का प्रतिवेदन भेजना आवश्यक नहीं है. प्रतिवेदन संदर्भित न्यायालय के द्वारा संदर्भ में कार्यवाही की जाने के समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है.

12. यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि बिना संराधन कार्यवाही किये, संदर्भ नहीं किये जा सकते हैं, इस संबंध में धारा 40 एवं धारा 47 का अवलोकन करना होगा, जो निम्नानुसार है :-

40. Commencement of concilation procedings. On receipt of the statement of the case under section 39 the conciliator shall, except in a case in which by reason of the provisions of section 47 a conciliation proceeding cannot be commenced, within a week enter the industrial dispute in the register kept for the purpose and thereupon the conciliation proceding shall be deemed to have commenced from the date of such entry in the register, which date shall be communicated by him to the parties concerned.

47. Conciliation proceedings, not to be commenced or continued in certain cases. No conciliation proceeding in respect of an industrial dispute shall-

(a) be commenced if-

(i) the representative of employees is directly affected by the dispute is a party to a submission relating to such dispute or a dispute relating to an industrial matter to that regarding which the dispute has arisen;

(ii) it has been referred to arbitration under the provisions of section 51 or 52;

(iii) by reason of a direction issued under sub-section (2) of section 97 or by reason of any of the other provisions of this Act the employers and employees concerned are in respect of the dispute bound by a registered agreement, settlement, submission or award;

(b) be continued after the date on which-

(i) a submission relating to such dispute is entered into by the employer and employees concerned under section 43 or 49;

(ii) the dispute is referred to arbitration under section 51 or 52;

(iii) the direction refered to in sub-clause (iii) of clause (a) is issued.

धारा 47 (ए) में यह प्रावधान है कि इन औद्योगिक विवादों के संबंध में संराधन कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जायेगी, जो पंच निर्णयार्थ धारा 51 अथवा धारा 52 के अंतर्गत संदर्भित कर दिये गये हों. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना संराधन कार्यवाही के भी संदर्भ किये जा सकते हैं. धारा 47 (बी) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि संराधन कार्यवाही चालू रहने के दौरान भी, राज्य शासन धारा 51 अथवा 52 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों के संबंध मे संदर्भ कर सकता है. ऐसी स्थिति में, धारा 47 (बी) के अंतर्गत संराधन कार्यवाही का चलना, उस तिथि को रुक जायेगा (discontinued) जिस तिथि को संदर्भ किया गया है. निःसंदेह धारा 48 में यह प्रावधान है कि यदि संराधन कार्यवाही के चलते रहने के दौरान, धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत संदर्भ कर दिया जाता है तो संराधन कार्यवाही स्थगित हो जायेगी और ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि संराधन कार्यवाही पूर्ण हो गई है और धारा 43 के अंतर्गत संराधन अधिकारी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा. निःसंदेह संराधन कार्यवाही के संबंध में, धारा 39 अधिनियम में यह प्रावधान है कि धारा 31(1) तथा (2) के अंतर्गत प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में दिये गये सूचना पत्र का यदि दूसरे पक्ष द्वारा विरोध किया जाता है और सूचना पत्र देने वाला पक्ष फिर भी यह चाहता है कि परिवर्तन कार्यान्वित किया जाये, तो सूचना पत्र देने वाला अपने मामले का पूर्ण विवरण संराधन अधिकारी को भेजेगा. यदि दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो जाता है तो धारा 33 के अंतर्गत यह समझौता (Settlement) पंजीयक को भेजा जायेगा, जो उसको इस हेतु संधारित पंजी में पंजीकृत करेगा, यदि दोनों पक्षों में समझौता नहीं होता है तो संराधन अधिकारी धारा 40 अधिनियम के अंतर्गत धारा 39 में प्राप्त मामले का विवरण, एक सप्ताह के अंदर, पंजी में प्रविष्ट करेगा, ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रविष्ट तिथि से संराधन कार्यवाही प्रारंभ हो गई है. लेकिन धारा 40 अधिनियम के अंतर्गत धारा 47 के प्रावधान को अपवाद बनाया गया है, अर्थात जहां पर राज्य शासन ने धारा 51 अथवा धारा 52 अधिनियम के अंतर्गत किसी औद्योगिक विवाद को संदर्भित कर दिया है, वहां पर संराधन अधिकारी अपनी पंजी में उन विवादों को पंजीबद्ध नहीं करेगा और उन विवादों के संबंध में संराधन कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा. इसी प्रकार धारा 43(2) अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि संराधन अधिकारी के समक्ष समझौता हो जाता है तो, संराधन अधिकारी समझौते का मेमोरेंडम तैयार कर, कार्यवाही का प्रतिवेदन समझौते के साथ, पंजीयक एवं प्रमुख संराधन अधिकारी को भेजेगा. जैसे ही पंजीयक उसको पंजीबद्ध करता है, समझौता में किया गया परिवर्तन, प्रभावशील हो जायेगा. धारा 43(2) में यह प्रावधान है कि यदि उभय पक्षों में समझौता नहीं होता है तो संराधन अधिकारी संराधन कार्यवाही समाप्त कर प्रमुख संराधन अधिकारी को प्रतिवेदन भेजेगा और प्रमुख संराधन अधिकारी उस प्रतिवेदन को राज्य शासन को अग्रेषित करेगा और राज्य शासन राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगा कि उभय पक्षों के मध्य समझौता नहीं हुआ है. संराधन कार्यवाही बंद करने के पूर्व संराधन अधिकारी धारा 43(6) के अंतर्गत पक्षकारों से पूछेगा कि क्या वे विवाद को पंच निर्णय हेतु सौंपने के लिये इच्छुक है. धारा 47 एवं धारा 40 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य शासन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह संराधन कार्यवाही प्रारंभ होने अथवा पूर्ण होने के पश्चात ही औद्योगिक विवादों के पंच निर्णय हेतु श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायालय अथवा बोर्ड को संदर्भित करे. बिना संराधन कार्यवाही के भी औद्योगिक विवाद पंचनिर्णय हेतु संदर्भित कये जा सकते हैं. इस प्रकार के संदर्भों का प्रभाव, यह होगा कि संदर्भ किये जाने के

पश्चात उन विवादों के लिये संराधन कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकेगी और यदि कोई कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तो वह वहीं रोक दी जायेगी.

13. अतः हमारे मत में, राज्य शासन द्वारा किये गये हस्तगत संराधन अधिकारी का प्रतिवेदन संलग्न नहीं होने पर भी चलने योग्य है. इस संदर्भों पर धारा 51(2)का कोई प्रभाव नहीं है. यदि इन विवादों के संबंध में संराधन कार्यवाही हुई है तो, राज्य शासन संदर्भ की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व, न्यायालय को संराधन अधिकारी का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा.

14. द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का यह तर्क कि धारा 43 (6) अधिनियम के अंतर्गत, विवादों को पंच निर्णय हेतु सौपे जाने के लिये द्वितीय पक्ष की सहमति प्राप्त नहीं की गई, अतः धारा 43 (6) अधिनियम का हनन हुआ है, इस कारण यह संदर्भ चलने योग्य नहीं है, भी स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है. दारा 43(6) अधिनियम का प्रावधान, धारा 51 अधिनियम को लागू नहीं होता है. धारा 51 के प्रंतुक 'एक' के अनुसार केवल बोर्ड को संदर्भ करने के लिये एक पक्ष की लिखित सहमति आवश्यक है. लेकिन औद्योगिक न्यायालय को संदर्भ किये जाने के लिये पक्षकार की सहमति आवश्यक नहीं है.

15. द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह संदर्भ सेवा समाप्ति के विवाद के संबंध में किये गये हैं. संदर्भ प्रकरण क्रमांक 10/93 में जो सूची प्रस्तुत की गई है, उसमें 12 कर्मचारियों के अतिरिक्त, शेष कर्मचारियों को निलंबित बताया गया है. शेष संदर्भों में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है. उन्होंने निवेदन किया कि यह अधिकरण संदर्भ की शर्तों के बाहर नहीं जा सकता है. अतः यह संदर्भ चलने योग्य नहीं है. विद्वान अधिवक्तागण का यह तर्क सही है कि अधिकरण, संदर्भ की शर्तों के बाहर नहीं जा सकता है. न्याय दृष्टांत ए.आई.आर.1964 ए. सी. 1746 एच.गेमन विरुद्ध औद्योगिक अभिकरण उडीसा एवं अन्य तथा 1979 लेब.आई.सी. 827 पोटरी मजदूर पंचायत विरुद्ध दी परफेक्ट पोटरी कं.लि. एवं अन्य से उक्त तर्क की पुष्टि होती है. लेकिन इस आधार पर इन संदर्भों की पोषणीयता (maintainability) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. वास्तव में इन संदर्भों के साथ संलग्न सूची में, जिन कर्मचारियों का मामला, संदर्भ की शर्तों से आवृत्त होगा, उनकी पंच निर्णय लागू होगा, पंच निर्णय उन कर्मचारियों के संबंध में नहीं दिया जायेगा, जो संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत नहीं आते हैं.

16. द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम के परिशिष्ट एक के विषयों के संबंध में केवल प्रतिनिधि संघ ही विवाद उठा सकता है, राज्य शासन स्वयमेव संदर्भ नहीं कर सकता है. हमारे मत में यह तर्क सारहीन है. जैसा कि पूर्व में लिखा है, प्रथम पक्ष का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में विवाद उठाया था, जिसके संबंध में संराधन कार्यवाही चली थी, जिसके असफल होने पर यह संदर्भ किये गये हैं. राज्य शासन को धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत व्यापक अधिकार प्राप्त है. द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी निवेदन किया कि संदर्भित प्रकरणों की अनुसूची का विवाद क्रमांक-3, जो सेवा पृथकीकरण के संबंध में है, अधिनियम के परिशिष्ट 2 के पद 6 के अंतर्गत आता है, जिसको श्रवण करने की अधिकारिता केवल श्रम न्यायालय को है, इस कारण ये संदर्भ प्रचलन योग्य नहीं है. यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है. इस अधिनियम में ऐसा कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है कि राज्य शासन, परिशिष्ट 2 में उल्लेखित विवादों के संबंध में औद्योगिक न्यायालय को संदर्भ नहीं कर सकता है. धारा 51 अधिनियम में राज्य शासन को संदर्भ करने के असीमित अधिकार प्राप्त है. इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान, धारा 51 को प्रभावित नहीं करता है. यदि संदर्भ के कुछ विवाद परिशिष्ट-1 में आते हैं और कुछ विवाद परिशिष्ट-दो में आते हैं, तो राज्य शासन उन विषयों को औद्योगिक न्यालय को संदर्भित कर सकता है. यदि इन संदर्भों के परिशिष्ट-एक के विवाद, औद्योगिक न्यायालय को और परिशिष्ट -2 विवाद श्रम न्यायालय को संदर्भित किये जाते तो उसके कारण पक्षकारों को असुविधा तो होती ही, साथ ही अनावश्यक रुप से समय एवं धन का दुरुपयोग एवं न्यायदान में विलंब होता.

17. द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 51 अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन औद्योगिक विवादों को तभी संदर्भित कर सकता है, जब उन औद्योगिक विवादों का समाधान, अन्य तरीकों से नहीं हो सकता हो. उन्होंने निवेदन किया कि संदर्भित विवादों का समाधान, धारा 31(3) सहपठित धारा 61 के अंतर्गत करने का मार्ग उपलब्ध है, इसलिये यह संदर्भ चलने योग्य नहीं है. यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है. संदर्भों के अवलोकन से प्रकट होता है कि राज्य शासन ने अपने आदेश में लिखा है कि उसकी इस बात की संतुष्टि हो गई है कि उभय पक्षों के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवादों का समाधान, संदर्भ के अतिरिक्त अन्य उपायों से होने की संभावना नहीं है. राज्य शासन की उक्त संतुष्टि, न्यायिक समीक्षा के बाहर है और उसके चुनौती नहीं दी जा सकती है. (अवलोकनीय 1971 एम.पी.एल.जे. 949 म.प्र. सिंचाई कर्मचारी संघ विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा 1988 एम.पी.एल.एस.आर. 174 कटनी पाटरी कर्मचारी संघ विरुद्ध ईश्वर इंडस्ट्रीज लि.) रिकार्ड पर ऐसे तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राज्य शासन ने दुर्भावना से यह संदर्भ प्रस्तुत किये हैं. यही कारण है कि द्वितीय पक्ष ने तर्क के समय भी इस संबंध में कुछ नहीं कहा. संदर्भित प्रकरणों के कर्मचारियों को न्याय उपलब्ध कराने के लिये यह प्रकरण, संदर्भ किये जाने में राज्य शासन की कोई दुर्भावना होने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता है. जैसा कि ऊपर लिखा है, प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि द्वितीय पक्ष ने हजारों कर्मचारियों को बिना विधि का पालन किये सेवा से पृथक कर दिया है, इसलिये राज्य शासन ने सामूहिक हित को दृष्टिगत करते हुये यह संदर्भ किये हैं. हमारे मत में द्वितीय पक्ष की यह आपत्ति सारहीन है.

18. यह तर्क भी स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है कि प्रथम पक्ष के द्वारा कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया था और इस कारण ये संदर्भ चलने योग्य नहीं है. प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मांग सूचना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके नहीं लिये जाने पर सहायक उप श्रमायुक्त को विवाद प्रस्तुत किये गये थे. तर्क के समय द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने स्वीकार किया कि श्रम आयुक्त के समक्ष कुछ पंचायत बैठकें हुई थी. इन विवादों के संबंध में बैठकों का आयोजन किया जाना, सूचना देने व विवाद उठाये जाने के निष्कर्ष पर ले जाता है. यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि धारा 31 के अंतर्गत परिवर्तन का सूचना पत्र दिये बगैर, औद्योगिक विवाद उत्पन्न होना नहीं माना जायेगा. धारा 2 (17) अधिनियम में दी गई ''औद्योगिक विवाद'' की परिभाषा बहुत व्यापक है. ऐसे विवाद, जिनमें परिवर्तन का सूचना पत्र नहीं दिया गया, भी औद्योगिक विवाद माने जायेंगे. (अवलोकनीय ए.आई.आर.1969 एम.पी.248) अतः उक्त आपत्ति व्यर्थ है.

19. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह संदर्भ वाद कारणों के कु-संयोजन के दोष से ग्रसित है. यह कहा गया कि संदर्भ के साथ संलग्न सूची में पृथकीकरण एवं निलंबन की भिन्न-भिन्न तिथियां दर्शाई गई है, अतः यह संदर्भ वाद कारणों के कु-संयोजन के दोष से ग्रसित है. यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है. राज्य शासन ने सभी कर्मचारी एवं संस्थान के मध्य उत्पन्न सभी विवाद संदर्भित कर दिये. यह अधिनियम, सामाजिक विधि होकर सामाजिक न्याय हेतु सृजित किया गया है. अतः उक्त तकनीकी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है.

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे मत में द्वितीय पक्ष के द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियां सारहीन है और वे निरस्त की जाती है तथा यह निर्णित किया जाता है कि यह संदर्भ प्रचलन योग्य (maintainable) है.

21. यह संदर्भ प्रकरण, खंडपीठ रायपुर के विद्वान सदस्य न्यायाधीश महोदय को आगामी कार्यवाही हेतु भेजे जायें.

मैं सहमत हूं.

सही/-
(एस.एन.उपाध्याय)
सदस्य जज

सही/-
(शंभू सिंह)
अध्यक्ष

इंदौर, दिनांक 31.05.1995